

राजस्थान सरकार
निदेशालय धरोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - एफ 2 (ग) एसीपी / 1990-11/अलेसे-1/1122-53

दिनांक - 08.08.2011

कार्यालय आदेश संख्या 90/2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रुत्स/2008/ दिनांक 12.9.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से लेखाकार के पद का द्वितीय एसीपी पीबी-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम सहायक लेखाधिकारी (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	एसीपी स्वीकृति दि०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सुरेश कुमार शर्मा	08.12.1932	15.06.1993	15.06.2011	
2.	विरेन्द्र सिंह	31.08.1966	04.08.1993	04.08.2011	
3.	नन्दकिशोर शर्मा	06.07.1967	04.08.1993	04.08.2011	
4.	विनोदकुमार जायसवाल	01.08.1965	15.06.1993	15.06.2011	
6.	धनराज टेलर	01.06.1967	15.06.1993	15.06.2011	
6.	रमेश चन्द मीणा	01.10.1962	04.08.1993	04.08.2011	
7.	नत्थूसिंह मीणा	01.01.1958	04.08.1993	04.08.2011	
8.	विजयशंकर गहलोत	03.03.1966	04.08.1993	04.08.2011	
9.	मोहनलाल पाटनी	15.01.1966	04.08.1993	04.08.2011	
10.	लेखराम मीणा	01.04.1967	04.08.1993	04.08.2011	
11.	नवरंगलाल सिंगडोदिया	01.02.1967	04.08.1993	04.08.2011	
12.	जगदीश चन्द्र खीची	10.01.1960	04.08.1993	04.08.2011	
13.	गुलाब चन्द तेजी	13.07.1965	04.08.1993	04.08.2011	
14.	लालचन्द खटीक	01.06.1965	04.08.1993	04.08.2011	
15.	महेश कुलहरि	30.09.1962	04.08.1993	04.08.2011	
16.	श्रवण कुमार छीपा	08.07.1965	04.08.1993	04.08.2011	

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्र.सं. 4 से 16 पर सहायक लेखाधिकारियों के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त

उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन से प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुन खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार सशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.08 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एच एफ-14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी एसीपी स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

निदेशक

क्रमांक - एफ 2 (ग) एसीपी / 1990-ग / अलेसे-1 / 1122-53

दिनांक-08-08-2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री..... सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)